**बीमा क्या है ? बीमा के प्रकार ,सिद्धांत और महत्व क्या है ?**

बीमा एक व्यवसाय है संविदा पर आधारित है। इस संविदा के अनुसार एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को आकस्मिक घटनाओं के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है

**बीमा की परिभाषा क्या है :**

बीमा की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है: यह एक बीमाकार ( बिमा कंपनी ) और बीमीत (व्यक्ति और कम्पनी) के बीच अनुबन्ध है जिसके तहत बीमाकार ( बिमा कंपनी ) निश्चित धनराशि (प्रीमियम) के बदले बीमित (व्यक्ति और कम्पनी) को एक निश्चित घटना ( चोट लगना, मृत्यु होना, आग लगना इतियादी) के घटित होने पर एक निश्चित राशि देने का वादा करता है अथवा जिस जोखिम का बीमा कराया गया है उसकी वास्तविक हानि होने पर उसकी पूर्ति का वादा बीमाकार ( बिमा कंपनी ) करती है।बीमा दो पक्षों के बीच एक ऐसा प्रसंविदा है जिससे एक पक्ष जो बीमा करता है उसे बीमाकर्ता (Insurance) कहते हैं, दूसरे पक्ष जो बीमा करवाता है वह बीमादार या बीमित व्यक्ति कहते है। लाभकारी (Benificiary) को जो एक निश्चय प्रतिफल देता है उसे प्रीमियम (Premium) कहते है के बदले में उल्लिखित आकस्मिक घटना जिसके प्रति बीमा है के घटित होने पर एक निश्चिम रकम के भुगतान का वचन देता है। पैटरसन, ईडब्ल्यूके अनुसार
“बीमा दो पक्षकारो के बीच एक संविदा है जिसके अन्तर्गत एक पक्षकार एक निश्चित प्रतिफल के बदले दूसरे पक्षकारो की विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है और उसे भविष्य में किसी उल्लिखित घटना के होने पर एक रकम देने का या क्षतिपूर्ति का वचन देता है।” मैगी डी0 एच के अनुसार – “बीमा के अन्तर्गत बीमाकर्ता द्वारा एक निश्चित घटना के घटित होने पर होने वाले हानि को प्रीमियम के प्रतिफल में भुगतान करने का वादा करता है।”

बीमा की विषय वस्तु अथवा प्रकृति के आधार पर बीमा को निम्न प्रकार सेवर्गीकृत किया जा सकता है 1. जीवन बीमा 2. अग्नि बीमा 3. सामुद्रिक बीमा 4.अन्य प्रकार के बीमा ।

**बीमा क्या है ? बीमा के प्रकार ,सिद्धांत और महत्व क्या है ?**

**बीमा के सिद्धांत क्या है :**

बीमा करवाते समय कुछ सिद्धांत होते हैं. बीमा सिद्धांत बीमा करने वाली कंपनी और बीमा करवाने वाले व्यक्ति दोनों पर लागू होते हैं. बीमा सिद्धांत को समझना उसे अपनाना हमारे लिए जरूरी है.

**पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत : पूर्ण विश्वास का सिधांत** :

बीमा अनुबंध पारस्परिक विश्वास का अनुबंध है। बीमाकर एवं बीमित दोनोंपक्षों को बीमा की विषय वस्तु से सम्बन्धित सभी आवश्यक सूचनाओं को उजागरकर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा में प्रस्तावक को (बीमा करवानेमें इच्छुक व्यक्ति) अपने स्वास्थ्य, आदतों, व्यक्तिगत इतिहास, पारिवारिक इतिहासआदि की सूचना को ईमानदारी से उजागर कर देना चाहिए। यदि महत्वपूर्ण तथ्योंको छुपाया गया है तो अनुबंध वैध नहीं होगा, क्योंकि बीमा की विषय वस्तु से सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर ही जोखिम का मूल्यांकन किया जा सकता है।

इस सिद्धांत के तहत बीमा कंपनी और व्यक्ति दोनों के बीच में पूरा विश्वास होना चाहिए. जब कोई बीमा कंपनी किसी का बीमा करती है तो उसे पूरे विश्वास के साथ जानकारी देनी चाहिए. बीमा के बारे में पूरी सच्चाई बतानी चाहिए कि हमारी कंपनी किस तरह का जोखिम कवर करती है क्या-क्या कंडीशन लागू होती है और इस बीमा प्लान के अंदर क्या करने से आपको दिक्कत इन सभी के बारे में बीमा कंपनी का कर्तव्य है कि वह हमें पूरी सच्चाई बताएं|

इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपना बीमा करवाता है तो उसे भी बीमा कंपनी को पूरी सच्चाई बताने चाहिए की उसे किसी भी तरह का तो नहीं है, क्या उसने पहले भी कोई बीमा करवाया है यानी कि अपने बारे में बीमा कंपनी जॉब ही पूछे पूरी पूरी सच्चाई बताना|

**क्षतिपूर्ति का सिद्धांत :Principle of Indemnity** :

क्षतिपूर्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक हानि की पूर्तिकरना अथवा उसे बीमा कराने से पूर्व की स्थिति में ले आना। यह सिद्धांतसामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा एवं साधारण बीमा में लागू होता है। यह जीवन बीमामें लागू नहीं होता क्योंकि जीवन की हानि अर्थात् मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति सम्भवनहीं है।

क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से अभिप्राय है कि बीमित को बीमे की घटना के घटित होने पर बीमा अनुबंध से कोई लाभ कमाने की छूट नहीं है। क्षति की पूर्ति काभुगतान वास्तविक हानि अथवा बीमा की राशि, जो भी कम हो, का किया जाताहै। आइए, इसे एक उदाहरण से समझें। माना कि एक व्यक्ति ने अपने मकान का20 लाख रूपये का बीमा कराया है। आग से क्षति पर उसे मरम्मत के लिए मकान पर 5 लाख रूपया खर्च करना पड़ा तो वह बीमाकर से केवल 5 लाख रूपये का दावा ही कर सकता है, न कि बीमा की कुल राशि का।

 इस सिद्धांत के तहत यह होता है कि जिस व्यक्ति या कंपनी में बीमा करवाया है उसे केवल उसकी कारण के लिए क्षति पूर्ति या मुआवजा मिलेगा जिसके लिए उसने बीमा करवाया. आसान भाषा में समझे तो हम मान के चलते हैं किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान का फायर इंश्योरेंस करवाया है और कुछ समय बाद उनकी दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो जाती है बीमा कंपनी चोरी हुए सामान का कलीम नहीं देगी.

**योगदान के सिद्धांत / Principle of Contribution** : इस सिद्धांत के तहत यह होता है कि अगर व्यक्ति ने किसी वस्तु के लिए एक से अधिक बीमा पॉलिसी ले रखी है तो वह नुकसान होने के दौरान एक से अधिक क्लेम नहीं ले सकता.

हम मान के चलते हैं कि राजेश ने अपनी दुकान का कंपनी नंबर 1 से तीन लाख रूपय का बीमा करवाया है और कंपनी नंबर दो से उसने 200000 रूपय का बीमा करवाया है और जब उसकी दुकान में किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है तो वह या तो कंपनी नंबर 1 से मुआवजा ले सकता है या फिर कंपनी नंबर 2 से एक साथ वह दोनों कंपनियों से मुआवजा नहीं ले सकता.

**प्रस्थापन का सिद्धांत / Principle of Subornation** : इस सिद्धांत के अंदर यह होता है कि बीमा करवाने वाला व्यक्ति अपनी वस्तु का क्लेम लेने के बाद में उस वस्तु का मालिक नहीं रहता अब उस वस्तु पर पूर्ण अधिकार बीमा कंपनी का हो जाता है.

जैसे कि मान के चलते हैं राजेश ने अपनी किसी मशीन का इंश्योरेंस करवाया है और आग लगने के कारण उसकी मशीन खराब हो गई. राजेश को बीमा कंपनी से पूरा क्लेम मिल गया अब खराब हुई मशीन को राजेश बेत नहीं सकता उस मशीन को बेचने का अधिकार बीमा कंपनी को है.

**न्यूनतम हानि का सिद्धांत / Principle of Loss Minimization** : यह सिद्धांत हमें बताता है कि बीमा धारक को अपनी संपत्ति का कम से कम नुकसान होने की कोशिश करनी चाहिए. मान के चलते हैं कि सुनील ने अपनी दुकान के लिए आग बीमा करवाया है और कुछ समय बाद उनकी दुकान में आग लग गई तो इस दौरान सुनील को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड को सूचित करें, पुलिस को इसके बारे में बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता लें ताकि उसकी दुकान कम से कम नुकसान हो.

**जीवन बीमा क्या है ?**

 दुनिया में सबसे ज्यादा किए जाने वाला बीमा जीवन बीमा है.जीवन बीमा क्या है

जीवन का बीमा दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं कर सकती. साधारण रूप में जीवन बीमा का अर्थ होता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को बीमा कंपनी की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता देना. काफी बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद हमारे घर का गुजारा चलाने वाला कोई नहीं होता. इस दौरान अगर व्यक्ति में जीवन बीमा करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हमें कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती है और परिवार का गुजारा ठीक ढंग से चल सकता है. प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक जीवन बीमा जरुर करवाना चाहिए.

**गृह बीमा / घर का बीमा**

सुरक्षा का पूरा दावा किया जाता है. घर बीमा में आपके मकान को किसी भी तरह का अगर नुकसान होता है तो उसका पूरा हर्जाना बीमा कंपनी देती है. आपके घर को प्राकृतिक रूप से अथवा कृत्रिम रूप से हुई किसी भी तरह की हानि के लिए बीमा कंपनी क्लेम देती है. प्राकृतिक रूप से हुए नुकसान में आग, भूकम्प, आकाशी बिजली, बाढ़ इत्यादि आते हैं तथा कृत्रिम रुप में घर में चोरी होना, आग लगाना, लड़ाई दंगे के कारण घर को नुकसान पहुंचाना इत्यादि शामिल है.

**अग्नि बीमा (Fire Insurance**

आग से होने वाली हानियों से सुरक्षा प्राप्त करने अग्नि बीमा कराया जाताहै। अग्नि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकार प्रीमियम के बदले में अग्निसे होने वाली हानि की राशि या क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। अग्नि बीमासामान्यत: एक वर्ष के लिए किया जाता है। इसका हर वर्ष नवीनीकरण भी कराया जा सकता है।अग्नि से होने वाली हानि का भुगतान दो शर्तों के पूरा होने पर ही कियाजाता है।

आग वास्तव में लगी हो, एवं

आग जानबूझ नहीं लगाई गई हो बल्कि दुर्घटनावश लगी हो. यहाँ आग लगने का कारण महत्व नहीं रखता।

अग्निबीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध है अर्थात बीमित सम्पत्ति की कीमत, अग्निसे क्षति अथवा पालिसी की राशि तीनों में से जो भी कम हो, से अधिक राशि कादावा नहीं कर सकता। अग्नि से हानि अथवा क्षति में हानि को कम करने के लिएकी गई कोशिशों से होने वाली हानि अथवा क्षति भी सम्मिलित होती है।

आग बीमा के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कंपनी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस करवाया है और कुछ समय बाद उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे मुआवजा देती है.

**सामुद्रिक बीमा**

आज सामुद्रिक व्यापार काफी बढ़ गया है, साथ ही साथ इसके खतरे भीबढ़ गये है। सामुद्रिक बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी जहाज अथवाजहाजी माल को समुदी्र यात्रा के दरम्यान होने वाले जोखिम से क्षति की पूि र्त काआवश्वासन देती है।

समुद्री यात्रा के मध्य जहाज को विभिन्न प्रकार का जोखिम होता है,तुफान, चट्टान या किसी अन्य जहाज से टकरा जाना आदि।सामुद्रिक हानियां तीन प्रकार की हो सकती हैं 1. जहाज को हानि 2.जहाजी माल की हानि एवं 3. माल भाड़े की हानि. इन हानियों का पृथक-पृथकबीमा किया जाता है। जहाज के बीमा को हल बीमा, माल के बीमा को माल बीमा(कार्गो) और भाडे़ के बीमे को भाडा बीमा कहते हैं।

अग्नि बीमा और समुद्री बीमा, सामान्य बीमे के अंतर्गत आते है. सामान्यबीमा का राष्ट्रीयकरण 13 मई 1971 को किया गया।

**ऑटो मोबाइल बीमा / वाहन बीमा ( Vehicle Insurance**

यात्री कार, वैन, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि का बीमा दुर्घटना से वाहन को होनेवाली क्षति, चोरी से होने वाली हानि तथा दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष को चोटपहुँचने अथवा मृत्यु हो जाने से उत्पन्न देनदारी के विरूद्ध बीमा है। वास्तव मेंवाहन का तीसरे पक्ष के संबंध में बीमा अनिवार्य है। वाहन बीमा के दौरान हमें सबसे अधिक फायदा तब होता है जब हमारे वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो या किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो. इसलिए अगर हमारे पास कोई वाहन है तो हमें उस का बीमा करवाना बहुत जरूरी है.

**स्वास्थ्य बीमा ( Health Insurance**

आज के समय में स्वास्थ्य बीमा हम सभी के लिए आवश्यक है. क्योंकि आज का हमारा खान-पान ही ऐसा हो गया है कि जिससे हमें कभी भी कोई भी बीमारी होने का खतरा बना रहता है. स्वास्थ्य बीमा के तहत इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह की बीमारी होने पर लगने वाला खर्च देती है. बीमारी पर लगने वाले खर्च की लिमिट आपकी पॉलिसी पर निर्भर करते हैं.

**यात्रा बीमा / यात्रा बीमा ( Travel Insurance**

यात्रा बीमा हमें किसी भी तरह की यात्रा करने के दौरानयात्रा बीमा यात्रा बीमा हुए नुकसान के लिए सुरक्षा प्रदान करता है. मान के चलते हैं कि हम विदेश में घूमने के लिए जा रहे हैं इस दौरान अगर हमें चोट लग जाती है या फिर हमारा सामान गुम हो जाता है तो हमें बीमा कंपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं. यात्रा बीमा जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं तब से लेकर यात्रा खत्म होने तक वैलिड होता है. यात्रा बीमा के लिए अलग-अलग बीमा कम्पनियों की कंडीशन अलग अलग हो सकती है.

**दुर्घटना बीमा योजना (Accident Insurance**

दुर्घटना बीमा के तहत अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट के दौरान चोट लग जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी उसके लिए क्लेम देती है. बीमा धारक की मृत्यु होने पर उसका क्लेम मृतक के नॉमिनी को दिया जाता है. एक्सीडेंट होने पर हमें क्या करना चाहिए ? किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हुई है तो क्लेम कैसे लें?

 **फसल बीमा ( Crop Insurance**

यह सूखा अथवा बाढ़ के कारण फसल हो होने वाली हानि से किसानों कोसंरक्षण प्रदान करता है। कृषि लोन लेने वाले प्रत्येक किसान को फसल बीमा करवाना आवश्यक है. फसल बीमा के अंदर अगर फसल को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसका हर्जाना बीमा कंपनी देती है. फसल बीमा के तहत अगर फसल को आग लग गई, खेत में बाढ़ आ गई, किसी बीमारी की वजह से हमारी फसल खराब हो गई तो सरकार की तरफ से तथा बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाता है.

लेकिन फसल बीमा की कंडीशन बहुत ज्यादा कठिन है इसलिए ज्यादातर किसान फसल बीमा नहीं करवाते. फसल बीमा का मुआवजा लेने के लिए उस खेत के आसपास सभी खेतों का सर्वे किया जाता है और अगर वहां पर अधिकतर किसानों को नुकसान पहुंचा है तब भी आपको मुआवजा दिया जाएगा. अगर आपके ही खेत को नुकसान हुआ है तो शायद आपको फसल बीमा मुआवजा ना मिले.

**व्यवसाय उत्तरदायित्व बीमा (Business Liability Insurance**

जब भी हमारे Business है या अपने काम से या फिर अपने किसी प्रोडक्ट से किसी अन्य कंपनी , व्यक्ति या किसी समुदाय को नुकसान पहुंचा हो तो हमारी कंपनी पर लगने वाला जुर्माना तथा कानूनी कार्यवाही का पूरा खर्चा Liability Insurance करने वाली कंपनी को उठाना पड़ता है.

**बीमा के लाभ :**

प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए कम से कम एक बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए. हमें बीमा के लाभ काफी कैसे होते हैं. बीमा करवाने से हमें बचत होती है के बहाने थोड़ी-थोड़ी बचत करते रहते हैं जो हमारे भविष्य में काफी काम है. बीमा करवाने से हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है. बीमा के लाभ जैसे कि आसानी से लोन और रि-पेमेंट का मिलना, टैक्स में बचत, दुर्घटना और बीमारी में सहायक, आसानी से बच्चो की शादी और पढाई करना.

**प्रीमियम क्या है l**

इस बार में हमेशा उलझन रहती है की प्रीमियम क्या है ? प्रीमियम का मतलब क्या है ? देखिये जब हम कोई भी बिमा करवाते है तो उस समय बिमा एजेंट हमारे सामने कुछ बिमा प्लान देखता है जिसमे वो हमे बताता है की आप ये प्लान लोगे तो आपको ये फायदा होगा और अगर ये दूसरा प्लान लोगे तो आपको ये फायदा होगा.

इस दौरान बिमा एजेंट हमे इन प्लान के लिए कितने रूपये देने है और कितने कितने टाइम में देने है यह सब हमे बताता है. इसे ही प्रीमियम कहते है.

उधारण के लिए जैसे की राजेश जिसकी उम्र 25 वर्ष है उसने LIC / भारतीय जीवन बिमा निगम कम्पनी से न्यू जीवन आनन्द प्लान लिया है. इस प्लान के तहत उस व्यक्ति को हर महीने के 1383 या फिर 6 महीने के 8213 रूपये या फिर 1 साल में 16256 देने होगे जिसे हम आसन भाषा में क़िस्त और प्रीमियम कहते है.

**बीमा का महत्व**

**जोखिम से सुरक्षा-** बीमा व्यवसाय को विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा बीमित को हानि की पूर्ति के लिए प्रावधान के रूप में होती है।

जोखिम का अनेक लोगों में विभाजन-बीमा जोखिम को आपस में बांटने में सहायता प्रदान करता है. व्यवहार में बड़ी संख्या में लोग प्रीमियम देकर बीमा करवाते हैं। इससे बीमाकोष तैयार हो जाता है। इस कोष का उपयोग उन लोगों की क्षतिपूि र्त के लिए किया जाता है जिनको वास्तव में यह हानि होती है। इस प्रकार से हानि को बड़ी संख्या में लोगों में बाँट दिया जाता हैं।

**ऋण लेने मे सहायक- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं सामान्य:** ऋण देने से पहले उन वस्तुओं एवं सम्पत्तियों का बीमा कराने पर जोर देते हैं जिनकी जमानत पर वह ऋण दे रहे हैं। इस प्रकार से बीमा वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करने को सुगम बनाता हैं।

विभिन्न श्रम कानूनो के अंतर्गत देनदारी से सुरक्षा- बीमा व्यवसायी को कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होने पर जिसके कारण गंभीर चोट, विकलांगता अथवा बीमारी हो जाने पर तथा प्रसूति आदि की स्थिति में क्षतिपूर्ति संबंधी भुगतान के समय सुरक्षा प्रदान करता है।

**आर्थिक विकास में योगदान-** बीमा कपं नियों के पास जमा धन को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूितयों एवं परियोजनाओं में निवेश किया जाता है जो ेदश् के आर्थिक विकास में योगदान देता है।

**रोजगार के अवसरों की उपलब्धता-** बीमा कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को नियमित रोजगार देती हैं। कई लोग बीमा एजेन्ट के रूप में कार्य कर अपनी जीविका अर्जित करते हैं।

**सामाजिक सुरक्षा-** जीवन बीमा बुढ़ापे एवं समय से पूर्व मृत्यु के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है. इसके साथ साथ कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से जिसमें दुर्घटना बीमा भी सम्मिलित है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता हैं।

बीमा का कार्य

**बीमा के कार्यो के दो भागो में विभक्त किया जा सकता है –(1) प्राथमिक कार्य (2) द्वितीयक कार्य ।**

**प्राथमिक कार्य –**

**निश्चितता प्रदान करना:-**बीमा हानि की अनिश्चतता के हानि के पूर्ति की निश्चितता प्रदान करता है। व्यक्ति हानि के प्रति कुशल नियोजन करके निश्चिंत हो सकता है परन्तु इस कृत्य में बहुत से बाधायें उत्पन्न हो सकती है। बीमा हानि की कठिनाइयों को दूर करके हानि के प्रति निश्चितता प्रदान करता है। जोखिम हानि की अनिश्चिता है जिसमें हानि का कब होगी, कैसे होगी कितनी होगी इस सबका पता नही रहता यदि जोखिम हो गयी तो व्यक्ति को और उससे पूर्व वह व्यक्ति हानि के प्रति चिन्तित रहता हैं, लेकिन बीमा से इस प्रकार की चिंता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति निश्चिय हो जाता है इसके लिये व्यक्ति को बहुत थोडी प्रीमियम देनी होती है जो हानि का बहुत छोटा भाग होता है।

**सुरक्षा प्रदान करना:-** बीमा का मुख्य कार्य संभाव्य हानि से सुरक्षा प्रदान करना है क्योकि मानव जीवन जोखिम पूर्ण है। विभिन्न जोखिमो के कारण या अनिश्चित रहता है कि भविष्य की आपदाओ से कब तथा कितना हानि भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार मनुष्य को असुरक्षा का अनुभव होता है वह सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा तभी मिल सकती है जब जोखिमों के अनिश्तिता से मुक्ति मिले । बीमा इस अनिश्चितता से मुक्ति देकर सुरक्षा प्रदान करता है ।

**जोखिम (हानि) का वितरण:-**बीमा का मुख्य कार्य जोखिमों से होने वाले हानि का विभाजन है। आपदा या जोखिम को बाँटा नहीं जा सकता है परन्तु उन से होने वाली हानियों को उन व्यक्तियों में बाँटा जा सकता है जो हानियों से सुरक्षित होना चाहते है। प्राचीनकाल में हानियों का विभाजन जोखिमों के समय किया जाता था। परन्तु बीमा संविदा मेंं उन हानियों का भुगतान बाद में किया जाता था। जिसके लिये सीमित व्यक्तियों से उनसे हानि का अंश प्रीमियम के रूप में पहले से लिया जाता था। प्रीमियम की गणना हानि की संभावना के अनुसार होगी।

**द्वितीयक कार्य** –

सुरक्षा की व्यवस्था द्वारा बीमा व्यवसायिक कार्यकलाप में ऐसे अनेक सुविधायें अवसर एवं लाभ प्रदान करता है जो इस प्रकार महत्वपूर्ण है ।

**हानि को रोकना-**

बीमा हानि को स्वयं नही रोकता है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओ को साथ देता है जो हानि को रोकने के लिये कार्य कर रहे है। यदि हानि में कमी हो जायेगी तो हानि रूक जायेगी। बीमाकर्ता कम भुगतान करेगा। इस प्रकार उसे हानि नही सहनी पड़ेगी। हानि की कमी से प्रीमियम दर में कमी की जा सकती है इस प्रकार बीमा के विकाश से सहायता मिल सकता है।

पूँजी की पूर्ति-बीमा समाज को पूंजी की आपुर्ति करता है बीमा के पर्याप्त रकम प्रीमियम के रूप में आती है जिससे विनियोजित करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है और समाज को पूँजी की कमी को पूरा किया जाता है। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ पूँजीे की अपर्याप्तता है बीमा के इस कार्य का विशेष महत्व है बीमा द्वारा पूजी का संचय दो प्रकार से किया जा सकता है-(1)बीमा के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था हानियों को पूरा करने के लिये कुछ संचय रखते है जिसका उपभोग नही करते।(2) बीमा पूंजी का संचय करता है।

**वित्तीय स्थिरता प्रदान-** करनाबीमा का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके कारण शुद्ध जोखिमों द्वारा अस्थिरता नही आने पाती। यदि बीमा की सुविधा उपलब्ध न हो तब अग्निकांड, दुर्घटना चोरी, दंगा, और इसी प्रकार अन्य उपद्रवो के कारण बड़ें पैमाने पर चलने वाले कारबार या उद्योग का अपूरणीय हानि पहुँच सकती है। यदि बीमा है तो ऐसी हानि की पूर्ति की व्यवस्था हो जाती है, और व्यवसाय एवं उद्योग में तथा समाज मे स्थिरता सुनिश्चितता की जा सकती है।

**बीमा की उपयोगिता**

बीमा की उपयोगिता का सामान्यत: अध्ययन-व्यक्तिगत उपयोंगिता व्यवसायिक, और सामाजिक लाभों के अन्तगर्त किया जा सकता है जो इस प्रकार है

**बीमा सुरक्षा प्रदान करता है-**

बीमा निर्धारित जोखिम से होनें वाली हानि के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन बीमा में मृत्यु या जीवन से घटित घटना पर बीमित रकम का भुगतान कर दिया जाता है। जीवन के अनेक आवश्यकताओ के लिये अलग अलग प्रकार के बीमापात्र खरीदे जाते है जो बीमित व्यक्ति से सम्बन्धित होते है। इसी प्रकार सम्पत्ति बीमा की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं जोखिम से सम्बन्धित है। बीमित जोखिम घटित होने पर भुगतान का दिया जाता है, सम्पत्ति के नष्ट होने पर या हानि होने पर हानि का भुगतान समान्य बीमा द्वारा किया जाता है।

**बीमा व्यक्ति को चिन्ता से मुक्त करता है-**

सुरक्षा मनुष्य का मुख्य प्ररेक है। यदि व्यक्ति का भविष्य जोखिम से असुरक्षित है तो उसे हमेशा चिन्ता लगी रहती है और कार्य करने में मन नही लगता परन्तु हानि के प्रति सुरक्षा रहने पर व्यक्ति उस से चिन्ता मुक्त हो जाता है। क्योकि वह समझाता है कि जोखिम उसके परिवार को कोई हानि नहीं देगा क्योकि हानि का भुगतान बीमा द्वारा कर दिया जाता है। यह हानि सम्पत्ति, जीवन और दायित्व के सम्बन्ध में हो सकती है। जिसके लिये बीमा विभिन्न स्वरूपों में मौजूद है। जोखिम से सुरक्षा न रहने पर मनुष्य को चिनता, हतोत्साह, मानसिक कमजोरी आदि रहती है।

**बीमा बन्धक सम्पत्ति में सुरक्षित करता है –**

बीमा बन्धक सम्पत्ति को सुरक्षित रखता है व्यक्ति की मृत्यु से बंधक पर रखी गयी सम्पत्ति ऋणदाता की हो जाती है, और परिवार को कष्ट होता है। दूसरी ओर ऋणदाता ऋण देने के पहले सम्पत्ति को बीमित करने के लिये बल देता है क्योकि सम्पत्ति के नष्ट होने पर क्षति पहुँचने, चोरी होने आदि के कारण बन्धक ऋण का भुगतान प्राप्त करना संभव नही रहता है। और ग्रहणदाता को हानि होती है। यदि सम्पत्तियों का बीमा होता, तो क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के होने से चोरी आदि हो जाने पर ऋण का भुगतान ऋणदाता को बीमा होने के कारण बंधक सम्पत्ति का दिया जाता है।

**बीमा सहायक के रूप में कार्य करता है-**

बीमा यदि हुआ है तो चाहे परिवार के मुखिया की मृत्यु हो या सम्पत्ति को हानि हो दोनो के प्रति चिन्ता करने की आवश्यकता नही होती, क्यो कि क्षति पहुँचने की स्थिति में बीमा कार्य करती है। बीमा उन सभी कठिनाई से मुक्त प्रदान करता है जो ऐसी समास्याओं को दूर करती है, जो व्यक्ति के लिये मुसीबत हो सकती है, क्योकि जोखिम होने की स्थित में आर्थिक कठिनाइयों से राहत प्रदान करती है।

बीमा बचत को प्रोत्साहित करता है एवं लाभकारी विनियोग में सहायक है-

जीवन बीमा बचत एवं सुरक्षा दोनो प्रदान करता है जबकि अन्य बीमा में केवल सुरक्षा सन्निहित रहती है। जीवन बीमा में बचत एवं विनियोग का लाभ मिलता है। बचत करके व्यक्ति वृद्धावस्था की कठिनाईयों सें सुरक्षित हो जाता है यदि मृत्यु आकस्मिक हो भी जाती है तो इसमें सहायता मिलता है। क्योकि उस दशा में एक निश्चित रकम का भुगतान कर दिया जाता है और इसके साथ ही साथ अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैै क्योकि बीमित रकम का भुगतान केवल एक निश्चत समय एवं घटना के घटित होने पर ही किया जाता है। जीवन बीमा के बीमित रकम के साथ ही साथ बोनस का भी भुगतान होता है क्योकि बीमाकारी अपने एकत्रितकोष को विनियोजित करता रहता है और प्राप्त हुयी आय से खर्चे और संचय निकालकर शेष रकम बीमापत्र धारी दे देता है। बीमा सुरक्षा के साथ साथ लाभकारी विनियोग का भी कार्य करती है।

**1. व्यवसायिक उपयोगिता**

व्यक्तिगत हानियों की अनिश्चितता कम हो जाती है –

बीमा अनेक जोखिमों से होने वाली हानि को पूरा करता है जिनके लिये बीमा की सुविधाये प्रदान की जाती है। व्यवसायिक जगत में अत्यधिक मानवीय और भौतिक सम्पत्ति का उपयोग किया जाता है और थोड़ी सी चूक के कारण अरबो की सम्पत्ति क्षणभर में नष्ट हो जाती है। इन जोखिमों से निजात पाने के लिये व्यसायिक जगत में बीमा भी अवश्यकता एवं भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्येाकि बीमा से इस हानियों को पूरा किया जाता है और ऐसी अनिश्चिता को दूर किया जात है और भुगतान किया जाता है जिससे व्यापार वृद्धि में सहायता मिलती है।

**बीमा से व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि और साख में वृद्धि होती है –**

बीमा होने से व्यवसायी हानियों के प्रति स्वतन्त्र हो जाते है और मन लगाकर कार्य करते है। व्यवासाय में संलग्न व्यक्ति सम्पत्ति आदि के बारे बीमा रहने पर चिंता नही करते क्येाकि बीमा द्वारा पूर्णक्षति की पूर्ति कर दी जाती है। जिससे व्यसासय की निरन्तरता बनी रहती है। बीमा रखने पर साख में वृद्धि हो जाती है, क्योकि ऋणदाता यह समझते है कि यदि ऋणी की मृत्यु या बन्धक पर रखी गयी सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर खो जाने, पर भी उन्हे भुगतान बीमा के माध्यम से किया जायेगा इसलिये बीमा होने से साख में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

**महत्वपूर्ण कर्मचारी की बीमा एवं कर्मचारी कल्याण की सुविधा:-**

अधिक महत्वपूर्ण कर्मचारी वह है जिसके जीवित रहने पर व्यापार को लाभ-हानि को तुरन्त पूरा न किया जा सके। महत्वपूर्ण कर्मचारी का बीमा करा लेने पर उसकी मृत्यु पर व्यवसाय बन्द होने या हानि होने की संभावना समाप्त हो जाती है। कर्मचारी के मृत्यु पर उनके परिवार को कुछ रकम देनी पड़ती है, जिसके लिये बीमा खरीदार उन्हे भुगतान किया जा सकता है। कर्मचारियों के निवास स्थान आदि के प्रबन्ध के लिये बीमा से ऋण भी मिल जाता है।

**सामाजिक उपयोगिता**

**समाज की मानवीय एवं भौतिक सम्पित्त की सुरक्षा-**

समाज की मानवीय एवं भौतिक सम्पित्त की सुरक्षा जीवन बीमा एवं सम्पित्त्ा बीमा से ही सकती है। जीवन बीमा में यह संभावना रहती है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जोखिम के प्रति स्वतन्त्र रखते हैं, क्योंकि उसके भौतिक सम्पित्त का बीमा रहने पर सम्पित्त्ा की सुरक्षा आदि रहती है। यदि वह नष्ट होती है तो हानि का पूर्ण भुगतान बीमा द्वारा किया जायेगा। बीमा होने से कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात आदि में प्रगति होती है, और मानवीय एवं भौतिक सम्पित्त्ा को सुरक्षा प्राप्त होती है।

**राष्ट्र प्रगति मे सहायक एवं मुद्रा प्रसार में कमी-**

राष्ट्र प्रगति में बीमा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योकि बीमा के माध्यम से देश की सम्पत्ति सुरक्षित रहती है, और विनियोग के लिये पर्याप्त रकम मिल जाती है। बीमा मुद्रा प्रसार में कमी दो प्रकार की होती है-

प्रीमियम की रकम एकत्रित करके मुद्रापूर्ति में कमी पूरा करता है। राष्ट्र में मुद्रा की मात्रा कम हों जाने से मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती हैै उसको भी पूरा करता है।

एकत्रित प्रीमियम को विनियोजित करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती हैं बीमा के समाजिक लाभ के तरीके महत्वपूर्ण है। क्योकि बीमा समाज के व्यवस्थित अस्थिरता से मुक्ति दिलाता है, और साथ ही साथ जीवन स्तर भी स्थिरता को बढ़ाता है और पूॅजी निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।